पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

महाबीर प्रसाद पेरीवाल एवं एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2020 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार कांड सं. 109

03 अगस्त 2023,

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा)

विचार के लिए मुद्दा

(द.प्र.स.) की धारा 205 के तहत याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज करने में गलती की, जिसमें 37 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामले में मुकदमे की प्रत्येक तारीख पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी गई थी, उनकी वृद्धावस्था, बीमारियों और कोलकाता से मुजफ्फरपुर की यात्रा की अनावश्यक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए। (कंडिका 1, 5)

हेडनोट्स

उच्च न्यायालय ने माना कि एक आपराधिक मुकदमे में, जहाँ आरोप भी तय नहीं किए गए हैं, 37 वर्षों का अत्यधिक और अस्पष्टीकृत विलंब एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण अनुचित कठिनाई का सामना कर रहे वृद्ध अभियुक्तों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की जानी चाहिए। (कंडिका 2, 7, 8, 11)

न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 205 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें अपराध की प्रकृति और अभियुक्त की आयु, स्वास्थ्य और निवास स्थान तथा मुकदमे में प्रगति की कमी जैसे कारकों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। (कंडिका 5, 9, 11)

यह स्पष्ट किया गया कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट कुछ कठोर शर्तों के अधीन दी जा सकती है, जिनमें पहचान पर विवाद न करने का वचन देना, सभी तिथियों पर प्रतिनिधित्व

करने के लिए अधिवक्ता को अधिकृत करना, और न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अपेक्षित होने पर, जैसे आरोप निर्धारण के लिए, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना शामिल है। (कंडिका 13)

न्याय दृष्टान्त

भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लिमिटेड, **(2001) 7 एससीसी 401**:(कंडिका 9); पुनीत डालमिया बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, **(2020) 12 एससीसी 695**: (कंडिका 10); एसवी मुजुमदार बनाम गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, **2005 (4) एससीसी 173** और रवि सिंह बनाम बिहार राज्य, **1979 बीबीसीजे 437**: (कंडिका 3)

अधिनियमों की सूची

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (द.प्र.स.); भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947; भारतीय दंड संहिता, 1860 (भ.दं.सं.)

मुख्य शब्दों की सूची

व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट (धारा 205 द.प्र.स.), परीक्षण में अत्यधिक देरी, अनुचित कठिनाई, वृद्धावस्था, सतर्कता मामला, अग्रिम जमानत, आरोप निर्धारण, न्यायालय का विवेक।

प्रकरण से उत्पन्न

विशेष मामला सं. 92/2002 (सतर्कता (पटना) थाना कांड सं. 13/1983 से उत्पन्न) में विद्वान विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), मुजफ्फरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2019 के खिलाफ अपील।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री अंकित कटरियार, अधिवक्ता।

उत्तरदाता/उत्तरदाताओं की ओर से: श्री प्रभात कुमार वर्मा, अधिवक्ता और श्री अनिल सिंह, अधिवक्ता (सतर्कता ब्यूरो के लिए)।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार कांड सं. 109

थाना कांड सं.- 13 वर्ष- 1983 थाना- सी.बी.आई. मामला जिला- मुजफ्फरपुर से उद्भूत

==========

1. महावीर प्रसाद पेरिवाल, पिता- स्वर्गीय नागरमल पेरिवाल, निवासी, गाँव- न्यू रोड, अलीपुर, थाना- अलीपुर, कोलकाता- 70,0001, पश्चिम बंगाल।
2. लक्ष्मी नारायण बिहानी, पिता- स्वर्गीय गौरी शंकर बिहानी, निवासी, गाँव- 55/01, लेक रोड, शरत बोस रोड, थाना- पोस्टा, कोलकाता- 70001, पश्चिम बंगाल।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. महानिदेशक, सतर्कता ब्यूरो, सर्कुलर रोड, पटना बिहार के माध्यम से बिहार राज्य
2. पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर, बिहार

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अंकित कटरियार

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री प्रभात कुमार वर्मा

श्री अनिल सिंह

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

मौखिक आदेश

6 03-08-2023

1. वर्तमान रिट आवेदन विद्वान विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 28.11.2019 को पारित उस आदेश को दरकिनार करने के लिए दायर किया गया है, जो सतर्कता (पटना) पुलिस थाना मामला सं. 13/1983 से उत्पन्न विशेष मामला सं. 92/2002 में दिया गया था जिसके तहत विद्वान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं द्वारा द.प्र.स. की धारा 205 के तहत दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें उसे प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत

उपस्थिति से छूट देने का अनुरोध किया गया था।

2. मामले की पृष्ठभूमि तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता वर्ष 1983 में स्थापित सतर्कता (पटना) मामला सं. 13/1983 के एक सतर्कता मामले में आरोपी हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि कुंवर सिंह (अब दिवंगत), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, बिहार ने 09.08.1982 से 05.01.1983 की अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्ति कंपनियों को डी.जी.एस. और डी. अनुबंध दरों पर जी.आई. पाइप और एच.डी.पी.ई. पाइप की आपूर्ति के लिए तिरसठ (63) आदेश दिए। भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उक्त अधीक्षण अभियंता द्वारा खरीदी गई मात्रा विनिर्देश से बहुत कम थी और भंडारण के दौरान क्षतिग्रस्त होने की संभावना थी। यह भी पाया गया कि खरीद आदेश देते समय विभाग की प्रक्रियाओं और मानदंडों का पालन नहीं किया गया और तत्कालीन अधीक्षण अभियंता ने आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान पहुंचाया और आपूर्तिकर्ताओं को आर्थिक लाभ हुआ। याचिकाकर्ता जी.आई. पाइप्स के आपूर्तिकर्ता हैं। याचिकाकर्ताओं को 1988 के ए.बी.पी. सं. 921 में 30.11.1988 को अग्रिम जमानत दी गई थी। आरोप पत्र सं. 03/1989 विशेष न्यायाधीश सतर्कता (उत्तर बिहार) के समक्ष 15.03.1989 को दायर किया गया था और दिनांक 22.06.1989 के आदेश द्वारा आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2), 5(i) (घ) और 13(2)(i)(घ) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख) के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया गया था। मामला पटना से मुजफ्फरपुर स्थानांतरित कर दिया गया था और याचिकाकर्ताओं की गैर-उपस्थिति के कारण याचिकाकर्ताओं के जमानत बंधपत्र को 23/06/2014 को रद्द कर दिया गया था, हालांकि याचिकाकर्ताओं को 09-06-2017/16-06-2017 पर इस शर्त के साथ जमानत दी गई थी कि वह प्रत्येक तारीख को शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा।

इसके बाद याचिकाकर्ता 2017-19 के बीच विभिन्न तिथियों पर शारीरिक रूप से उपस्थित था। 2019 में याचिकाकर्ताओं ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष द.प्र.स. की धारा 205 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने 03-04-2018 को पुलिस को कागजात प्रस्तुत किए, लेकिन 37 लंबे वर्षों के बाद भी, मामले में आरोप तय नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता लगभग 79 और 83 वर्ष की आयु के अत्यंत वृद्ध व्यक्ति हैं और उन्हें सुनवाई की तिथि पर मुजफ्फरपुर स्थित न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कोलकाता से कठिन यात्रा करनी पड़ती है। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन दायर किया है और न्यायालय के निर्देशानुसार शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का वचन दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि 37 साल बीतने के बावजूद और याचिकाकर्ताओं को विभिन्न तिथियों पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने पर भी अभी तक आरोप तय नहीं किया गया है। आज दोनों याचिकाकर्ताओं की आयु 79 वर्ष और 83 वर्ष है और वे कोलकाता में रह रहे हैं। उनमें से एक को संवहनी पार्किंसोनियम के साथ द्विपक्षीय आसन कंपन नामक बीमारी है और उन्हें मामले में कोई प्रगति नहीं होने पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर तारीख पर कोलकाता से मुजफ्फरपुर आना पड़ता है। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता किसी विशेष तिथि पर और/या विशेष न्यायालय द्वारा निर्देशित आरोप तय करने के समय शारीरिक रूप से उपस्थित होने का वचन देते हैं। याचिकाकर्ता मुकदमे के दौरान अपनी पहचान और अपने अधिवक्ता की उपस्थिति में प्रस्तुत साक्ष्य पर सवाल नहीं उठाएंगे और यदि मुकदमे के दौरान याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति समाप्त हो जाती है तो निर्णय की घोषणा के समय वे शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। विद्वान अधिवक्ता 2020 (12) एस.सी.सी. 695 पुनीत डालमिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, 2005 (4) एस.सी.सी. 173 एस.वी. मजूमदार और अन्य

बनाम गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी लिमिटेड और अन्य और 1979 बी.बी.सी.जे. 437 रवि सिंह और एक अन्य बनाम बिहार राज्य में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर निर्भर करते हैं।

4. सतर्कता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जिनमें कई लाख रुपये की सरकारी निधि का वित्तीय दुरुपयोग शामिल है, इसलिए विशेष न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं की शारीरिक उपस्थिति से छूट देने की प्रार्थना को सही ढंग से खारिज कर दिया है। द.प्र.स. की धारा 205 विवेकाधिकार का प्रावधान है और न्यायालय को धारा 205 द.प्र.स. के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा इसके अलावा न्यायालय को यह भी विचार करना होगा कि क्या उनकी अनुपस्थिति के कारण मुकदमे की प्रगति में बाधा आने की संभावना है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और आक्षेपित आदेश का अध्ययन किया है। धारा 205 द.प्र.स. के तहत दायर मुकदमे की प्रत्येक तिथि पर उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि सतर्कता (पटना) 1983 का मामला सं. 13 भ.दं.सं. की धारा 120ख, 409 के तहत याचिकाकर्ताओं और नौ अन्य आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5 (2) और 5(1)(घ) और 13(2)(झ)(घ) के साथ पढ़ा गया था, जिसमें एक कुंवर सिंह (अब दिवंगत) तत्कालीन अधीक्षक अभियंता, भवन निर्माण सर्कल, मुजफ्फरपुर शामिल थे। आरोप पत्र 1989 में दायर किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा 22.06.1989 को अपराधों का संज्ञान लिया गया था।

6. इस न्यायालय ने अपने दिनांक 06-02-2020 के आदेश द्वारा

विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), मुजफ्फरपुर से आरोप तय न करने के संबंध में एक रिपोर्ट तलब की थी, साथ ही याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश देते हुए उन्हें अगले आदेश तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट भी दी थी। इसके अनुसरण में, विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), मुजफ्फरपुर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि सतर्कता मामला सं. 13/1983, विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) पटना से 19-02-2002 को बिना केस डायरी के स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ था और सभी अभियुक्तों की उपस्थिति 06-03-2018 को पूरी हो गई थी।

7. सतर्कता द्वारा 29-07-2023 को दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि मामला 22/06/1989 के बाद से आरोप तय करने के लिए लंबित है और विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) मुजफ्फरपुर ने अपने दिनांक 28.11.2019 के आदेश के अनुसार कार्यालय को विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) पटना की न्यायालय से केस डायरी बुलाने का निर्देश दिया था। इसका शुद्ध परिणाम यह है कि पिछले 34 वर्षों से आरोप तय नहीं किया गया है। कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 317 का लाभ दिया गया है और याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि 2017 में जमानत दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता प्रत्येक तारीख को न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से पेश हो रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं की देरी की चालबाजी के कारण आरोप तय नहीं किए गए हैं।

8. यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता लगभग 79 वर्ष और 83 वर्ष के हैं और वृद्धावस्था संबंधी जटिलताओं सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें प्रत्येक तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होने में कम से कम दो दिन खर्च करते हुए कोलकाता से मुजफ्फरपुर आना पड़ता है। याचिकाकर्ताओं को प्रत्येक तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होने में अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

9. मेरी राय में, भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भिवानी डेनिम एंड

अपैरल्स लिमिटेड (2001) 7 एस.सी.सी. 401 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित छूट प्रदान करने के सिद्धांत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त भास्कर इंडस्ट्रीज निर्णय (उपरोक्त) में कहा है कि न्यायालय का मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय का प्रशासन है और इस उद्देश्य के लिए न्यायालय के कार्यवाही में प्रगति दर्ज की जानी चाहिए। हालाँकि, दूरी या किसी शारीरिक अक्षमता या अन्य उचित कारण से दुर्लभ मामलों में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का विवेकाधिकार प्रयोग किया जाना चाहिए। न्याय के हित में, जहाँ अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिवक्ता मुकदमे में उपस्थित नहीं होता है या सहयोग नहीं करता है, वहाँ द.प्र.स. की धारा 205 (2) का सहारा लिया जा सकता है।

10. पुनीत डालमिया बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हैदराबाद (2020) 12 एस.सी.सी. 695 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के सिद्धांत का भी सारांश प्रस्तुत किया है और कहा है कि अभियुक्तों को होने वाली कठिनाई और न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त द्वारा एक वचनबद्धता दाखिल करने पर, कुछ शर्तों पर अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का आधार बनाया जा सकता है, ताकि न्याय का हित सुनिश्चित हो और मुकदमे का जल्द से जल्द निष्कर्ष निकाला जा सके।

11. तथ्यों और मामला कानूनों पर उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मेरी सुविचारित राय में, याचिकाकर्ताओं ने न्याय के हित में विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट का मामला बनाया है।

12. तदनुसार सतर्कता (पटना) थाना कांड सं. 13/1983 से उत्पन्न विशेष मामला सं. 92/2002 में विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), मुजफ्फरपुर द्वारा पारित दिनांक 28/11/2019 के आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

13. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं की यह प्रार्थना कि उन्हें स्थगन की सभी तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जाए और उनके अधिवक्ता को उनकी ओर से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जाती है:

(i) कि याचिकाकर्ताओं को विचारण न्यायालय में एक वचन पत्र दाखिल करना होगा कि वे मामले में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेंगे और उनके अधिवक्ता उनकी ओर से विचारण न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होंगे और वे उनकी अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने पर आपत्ति नहीं करेंगे और याचिकाकर्ताओं और/या उनके अधिवक्ताओं की ओर से कोई स्थगन नहीं मांगा जाएगा।

(ii) कि याचिकाकर्ताओं को आरोप तय करने के उद्देश्य से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा और अन्य सुनवाई तिथियों पर भी जब भी विचारण न्यायालय उनकी उपस्थिति पर जोर देगी।

(iii) कि यदि विचारण न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता और/या उनके अधिवक्ता मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह धारा 205(2) द.प्र.स. के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और मामले में तय की गई प्रत्येक तारीख पर याचिकाकर्ताओं को उपस्थित होने का निर्देश दे।

14. अवलोकन और निर्देश के साथ इस आवेदन को अनुमति दी जाती

है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल्ल/- ए.एफ.आर.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।